भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1717

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2026

सिख समुदाय का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण

1717. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिख समुदाय के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के संबंध में दशकों से चली आ रही संस्थागत उपेक्षा का निराकरण करने तथा उनके संरचनात्मक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए लक्षित पहलें तैयार की हैं;

(ख) पारंपरिक सिख कला, शिल्प और विरासत संस्थानों के संरक्षण हेतु पीएम-विकास योजना के अंतर्गत पंजाब राज्य में आवंटित वित्तीय परिव्यय का आंकड़ा क्या है;

(ग) इन विशेष कौशल और उद्यमिता समूहों से लाभान्वित होने वाले समुदाय के युवाओं और महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐतिहासिक सिख अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास का विस्तार करने तथा उनकी पहचान एवं योगदान को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए कोई समर्पित भावी कार्य-योजना है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना को लागू कर रहा है। पीएम विकास योजना इस मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया है। यह योजना विभिन्न घटकों जैसे कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, नेतृत्व एवं उद्यमिता तथा शिक्षा के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा चयनित पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA), सरकारी संस्थानों, केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तथा उत्कृष्टता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से लागू की जाती है।

पीएम विकास योजना के अंतर्गत कुल 59 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1.56 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) को 31,600 अभ्यर्थियों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। अब तक, पीएम विकास योजना के अंतर्गत 32,138 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जिनमें से 11,217 अभ्यर्थी सिख समुदाय के हैं, जिनमें 5,655 पुरुष तथा 5,562 महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सिख समुदाय के 972 लाभार्थियों को 15.19 करोड़ रुपये की ऋण सहायता संवितरित की गई है।
